

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1579 / FP/UK/ROAD/12810/2015 देहरादून: दिनांक: 3rd दिसम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर की लंबी कुलवान से लोकोट्टी वाला फुटमोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.03 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 29.06.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 29.06.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1739/12-1(2) दिनांक 22.12.2022 से प्राप्त आख्या के कम में निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

Sl	Query	Query Removed
1	In reply to point no. 03 incomplete reply is found submitted nothing has been mentioned about the muck disposal plan. It is seen that only 5250 cum muck has been calculated for the stretch of 3 km length of road. Further, the same has not been authenticated by the DFO and reclamation plan for dumping is also not submit following documents. (i). State govt. may submit a complete and correct muck disposal plan duly authenticated by the concerned DFO. (ii). State govt. may submit the reclamation plan.	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा प्रेषित Revised Muck Disposal Plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-01)
2	In reply to point no. 4 regarding selecting the non- forest land for the purpose of muck dumping incomplete reply is found submitted. State govt. may submit the information regarding exploring the area for muck disposal in non-forest land.	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा प्रेषित उक्त बिन्दु की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-02)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्र संख्या 1579 / FP/UK/ROAD/12810/2015 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1739/12-1(2) दिनांक 22.12.2022 के कम में।
- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

30/12/22
(एस०एस० रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।